न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 43/2012

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 जवानमल पुत्र हकमाजी गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी नारादरा तहसील शिवगंज		1 छगन कुंवर पत्नि जयसिंह जाति राजपूत
2 मोहनलाल पुत्र हकमाजी जाति गोस्वामी निवासी नारादरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही		2 सोमपुरी पुत्र लच्छापुरी गोस्वामी जाति गोस्वामी
		3 नगीनपुरी पुत्र लच्छापुरी गोस्वामी जाति गोस्वामी
		4 रमेशपुरी पुत्र लच्छापुरी गोस्वामी जाति गोस्वामी
		5 धरमी पत्नि लच्छापुरी गोस्वामी जाति गोस्वामी
		6 पुनमपुरी पुत्र जोरपुरी गोस्वामी जाति गोस्वामी
		7 जयंतिलाल पुत्र हकमाजी गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासीगण नारादरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही
		8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री नरेन्द्रसिंह देवडा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 5.12.17

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 61/2010 छगनकुंवर बनाम सोमपुरी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मातहत अदालत के समक्ष आराजी के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें मातहत अदालत द्वारा तनकी कायम की गई, जिस पर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत कर तनकी को साबित करना था, किन्तु मातहत अदालत में वादी की ओर से शपथ पत्र ही प्रस्तुत हुआ, जिरह हेतु वादी उपस्थित ही नही हुई, जिसके कारण उक्त शपथ पत्र साक्ष्य में पढ़ने योग्य नही था। इस प्रकार वादी का दावा खारिज योग्य था, इसके बावजदू वादी की ओर से कोई साक्ष्य नही होते हुए भी वादी का वाद डिक्री किया जाकर मातहत अदालत द्वारा मात्र आदेशिका में यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अंकित किया कि प्राथमिक डिक्री जारी हो। उक्त आदेश जारी किए जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय ही पारित नही किया तथा न ही किसी प्रकार से तनकीयात का विनिश्चय किया। इस प्रकार जैर अपील निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी सह खातेदारी भूमि का विधिक विभाजन कराने हेतु दावा पेश किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने पर तनकीयात कायम किए जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपना शपथ पत्र बतौर साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि उन्हे साक्ष्य का मौका नही दिया गया है, जबकि आदेशिका में स्वयं साक्ष्य बन्द करवाने की जिम्मेदारी ली है। इसके पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा नारादरा के खसरा नम्बर 337 रकबा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 338 रकबा 27 बीघा 28 बिस्वा कुल रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से अपने 1/3 हिस्से की भूमि को पृथक से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2009 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किये। इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के कारण उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात वादीया ने अपने मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु जिरह हेतु उपस्थित नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 13.06.2012 को वादी की साक्ष्य बन्द की गई। इसी दिनांक को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने हेतु सहमति व्यक्त करने पर प्रतिवादी की साक्ष्य भी बन्द की जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश जारी किये गए तथा प्राथमिक डिक्री परवा जारी करते हुए वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रेवेन्यू बोर्ड रूल्स 1955 के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिये गए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में उभयपक्ष द्वारा उपलब्ध करवाये गए दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आज्ञापक है। इसमें भी स्पष्टतः समक्ष न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

21 में विभाजन के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिये गये है, उनके सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नही होता, जिसके आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अनुचित ठहराया जा संके। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 61/2010 छगनकुंवर बनाम सोमपुरी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 5.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली